भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 533
06 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के परिवारों को मुआवजा
533. श्री एंटो एन्टोनी:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार के पास केरल राज्य सहित देश में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो पिछले बारह महीनों के दौरान माह-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की विपदाग्रस्त परिवारों को वित्तीय सहायता अथवा मुआवजा प्रदान करने की कोई योजना है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;
(ड.) क्या सरकार की छोटे और सीमांत किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की कोई योजना है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (च): गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या' (एडीएसआई) नामक प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

कृषि एक राज्य का विषय होने के कारण, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। खेती को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि

सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 27,662.67 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 के दौरान 1,25,035.79 करोड़ रुपये कर दिया है।

2. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता

वर्ष 2019 में पीएम-किसान की शुरूआत - एक आय सहायता योजना जो 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करती है। दिनांक 30.11.2023 तक **11 करोड़** से अधिक किसानों को **2.81 लाख करोड़ रुपये** से अधिक जारी किए जा चुके हैं।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

सात वर्षीय (अनंतिम) - पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का निपटान करते हुए वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। पिछले 7 वर्षों के कार्यान्वयन- 49.44 करोड़ किसान आवेदन नामांकित हुए और 14.06 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसान आवेदकों को 1,46,664 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा अपने हिस्से के प्रीमियम के रूप में लगभग 29,183 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसके ऐवज में उन्हें 1,46,664 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए, उन्हें दावों के रूप में लगभग 502 रुपये प्राप्त हुए हैं।

डिजीक्लेम- दावों की गणना और भुगतान में पारदर्शिता के लिए, दावों की गणना और इन दावों को सीधे किसान के खाते में अंतरित करने के लिए दावा भुगतान मॉड्यूल पीएफएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से किया जा रहा है। यह पहल खरीफ 2022 मौसम के दावों से कार्यान्वयन के लिए 23 मार्च, 2023 को शुरू की गई है। सभी दावों का भुगतान अब बीमा कंपनियों द्वारा डिजीक्लेम के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया जाता है।

4. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

i. वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 21.55 लाख करोड़ रुपये हो गया।

ii. केसीसी के माध्यम से 4% प्रति वर्ष ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण का लाभ अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया गया है।

iii. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को कवर करने पर ध्यान देने के साथ रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। दिनांक 05.01.2024 तक, अभियान के हिस्से के रूप में 5,69,974 करोड़ रुपये की संस्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 465.42 लाख नए केसीसी आवेदन संस्वीकृत किए गए हैं।.

5. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना

i. सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।

ii. धान (सामान्य) के लिए एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1,310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2,183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

iii. गेहूं का एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2,275 रुपये प्रति क्विंटल हो गया।

6. देश में जैविक खेती को बढ़ावा

i. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। 32,384 क्लस्टर बनाए गए हैं और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।

ii. सरकार भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से स्थायी प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखती है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसानों की आय बढ़ाना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित और स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) लॉन्च किया गया है। 189039 किसानों को शामिल करके 1,72,966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

7. प्रति बूंद अधिक फसल:

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि, इनपुट की लागत को कम करना और खेत स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से पीडीएमसी योजना के माध्यम से अब तक 81.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है और 18,893.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

8. सूक्ष्म सिंचाई कोष:

नाबार्ड के साथ प्रारंभिक कोष 5,000 करोड़ रुपये का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में फंड का कोष बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये किया जाना है। अब तक 4,710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

9. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना

i. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई।
ii. दिनांक 31.12.2023 तक, नई एफपीओ योजना के तहत 7,774 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।
iii. 2,933 एफपीओ को 129.5 करोड़ रुपये का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है।
iv. 994 एफपीओ को 226.7 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया

10. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में रुपये 500.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। 3 साल की अवधि के लिए, अर्थात, 2020-21 से 2022-23, और योजना को अगले तीन वर्षों के लिए, अर्थात, 2023-24 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, शेष उपलब्ध बजट रुपये के साथ। आवंटित बजट से 370.00 करोड़ रु. वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास और "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 500.00 करोड़ रुपये।

11. कृषि यंत्रीकरण :

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों में कठोर श्रम को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2023 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 6405.55 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को राजसहायता आधार पर 15,23,650 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 23,018 कस्टम हायरिंग केंद्र, 475 हाई-टेक हब और 20,461 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक, 37937 कृषि मशीनरी के वितरण, 1916 कस्टम हायरिंग सेंटर, 41 हाईटेक सेंटर और 82 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए 252.39 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

12. नमो ड्रोन दीदी:

सरकार ने हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। कुल 15,000 ड्रोनों में से, पहले 500 ड्रोन वर्ष 2023-24 में लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (एलएफसी) द्वारा चयनित एसएचजी को वितरण के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके खरीदे जाएंगे। शेष 14500 ड्रोन इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे और ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह योजना एसएचजी को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी और वे कम से कम 1.0 लाख रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

13. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना :

पोषक तत्वों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं।

i. चक्र-I (2015 से 2017) – 10.74 करोड़
ii. चक्र-।। (2017 से 2019) - 12.19 करोड़
iii. मॉडल ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 23.71 लाख
iv. वर्ष 2020-21 में- 11.52 लाख

14. राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना

i. 23 राज्यों और 04 संघ राज्य क्षेत्रों की 1389 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया गया है। (28 अतिरिक्त मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया है जिसमें जम्मू-कश्मीर (6) मध्य प्रदेश (3) महाराष्ट्र (15) उत्तराखंड (4) शामिल हैं।

ii. दिसंबर 2023 तक, 1.76 करोड़ किसानों और 2.50 लाख व्यापारियों को ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। 8.96 करोड़ मीट्रिक टन और 30.99 करोड़ संख्या (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) की कुल मात्रा, जिसका कुल मूल्य लगभग 3.19 लाख करोड़ रुपए का व्यापार ई-नाम प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया गया है।

15. राष्ट्रीय खाद्य तेल - ऑयल पाम मिशन का शुभारंभ

एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य तेल (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) मिशन अगस्त, 2021 के दौरान शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार, सीपीओ उत्पादन और खाद्य तेल पर आयात का बोझ कम करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना है। मिशन ऑयल पाम रोपण के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11,040 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर के साथ 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल होगा।

16. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को केसीसी के माध्यम से उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण दिया जाता है। इसके लिए फिलहाल वित्तीय संस्थानों को ब्याज में 1.5 फीसदी की छूट दी जा रही है. इसलिए, कृषि और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध है। ऋणों की शीघ्र और समय पर चुकौती के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) भी दिया जाता है; इस प्रकार ब्याज की प्रभावी दर को घटाकर 4% प्रति वर्ष कर दिया गया। केवल संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अलावा) के लिए लिए गए अल्पावधि ऋण के मामले में, ऋण राशि रु. 7% की दर से 2.00 लाख रुपये मिलते हैं. इस पर अतिरिक्त 3% पीआरआई भी मिलता है।

केसीसी के तहत अधिकतम संख्या में किसानों को लाने के लिए ताकि उन्हें संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से सस्ती दर पर ऋण मिल सके, सरकार फरवरी, 2020 से किसानों को केसीसी संतृप्ति के लिए पीएम-किसान लाभार्थियों पर एक अभियान चला रही है ताकि सभी बचे हुए किसानों को विशेष ध्यान दिया जा सके।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को लगभग 2.00 लाख करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह से कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। पीएम किसान लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देने के साथ पात्र और इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इससे ऐसे किसानों को रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिली। दिनांक 15.10.2021 को 2.5 करोड़ किसानों को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया गया था और दिनांक 05.01.2024 तक, अभियान के हिस्से के रूप में 5,69,974 करोड़ रुपए की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 465.42 लाख नए केसीसी आवेदन संस्वीकृत किए गए हैं। तहत. एमआईएसएस जिसके तहत केसीसी योजना संचालित होती है, के लिए बजट अनुमान रुपये आवंटित किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए 23000 करोड़।

पीएम किसान लाभार्थियों को संतृप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ एक संशोधित केसीसी संतृप्ति अभियान यानी "घर घर केसीसी अभियान" शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी से संतृप्त करने के लिए ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति के तहत एक विशेष अभियान के माध्यम से संभावित किसानों को एकजुट करना और सभी प्रकार की केसीसी योजनाओं (फसल की खेती के लिए, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन आदि) के तहत अधिकतम संख्या में किसानों/पीएम किसान लाभार्थियों को नामांकित करना है।

17. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) :

एक लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना को देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। एग्री इंफ्रा फंड के तहत ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की जा रही है।

18. कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।

किसान रेल विशेष रूप से खराब होने वाली कृषि-बागवानी वस्तुओं की सुव्यवस्थित बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पहली किसान रेल जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। 28 फरवरी, 2023 तक 167 मार्गों पर 2359 सेवाएं संचालित की गई हैं।

19. एमआईडीएच - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक (30.12.2023 तक) एमआईडीएच की एनएचएम/एचएमएनईएच योजना के प्रमुख घटकों के तहत वास्तविक प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

- क्षेत्र विस्तार:- चिन्हित बागवानी फसलों के 13.24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया गया है। नर्सरी:- गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए 882 नर्सरी स्थापित की गई हैं।
- पुनर्जीवन:- पुराने और पुराने बगीचों के 1.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है।
- जैविक खेती:- जैविक पद्धतियों के अंतर्गत 52108 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है।
- संरक्षित खेती:- संरक्षित खेती के अंतर्गत 3.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है।
- जल संसाधन:- 51476 जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं।
- मधुमक्खी पालन:- 15.94 लाख छत्तों वाली मधुमक्खी कालोनियों का वितरण किया गया है।
- बागवानी मशीनीकरण: -2.65 लाख बागवानी यंत्रीकरण उपकरण वितरित किए गए हैं।
- फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना:- 1.17 लाख फसलोत्तर इकाइयां स्थापित की गई हैं।
- बाज़ार अवसंरचनाएँ:- 15522 मंडी अवसंरचनाएँ स्थापित की गई हैं।
- किसानों का प्रशिक्षण:- मानव संसाधन विकास के तहत 9.31 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

20. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का निर्माण

अब तक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स (केपीएस) और एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआईएस) द्वारा 1259 स्टार्ट-अप का चयन किया गया है। कृषि एवं परिवार कल्याण विभाग के आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत इन स्टार्ट-अप को वित्त पोषित करने के लिए संबंधित केपी और आर-एबीआई को किश्तों में सहायता अनुदान के रूप में 83.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

21. कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

देश में कृषि और संबद्ध जिंसों के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में, कृषि और संबद्ध निर्यात 2021-22 में 50.24 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2022-23 में 53.15 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है अर्थात 5.79% की वृद्धि हुई।

*****